(15)

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/ 4280 दिनांक 26/9/14

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और नगरपालिका वार्डो के निर्वाचनों के शुद्व एवं सुचारू संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीको को और उनके आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों के लिए निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित उसे समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व अधिसूचना क्रमांक संख्या 4(1)(2)नपा/रानिआ/07/2086 दिनांक 09.07.2009 जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(क) मे दिनांक 10.07.2009 को प्रकाशन हुआ, के अधिक्रमण में निम्न प्रकार विनिर्देश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ** – (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2014 है,
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह नगरपालिकाओं के वार्डो के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
   (3) यह राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाए** – इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –
   (i) "सविरोध निर्वाचन" से वार्ड के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
   (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
   (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;
   (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;
   (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड़ अभिप्रेत है;
   (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अभिप्रेत है;
   (vii) "मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अभिप्रेत है;
   (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
   (ix) "सारणी–1" से इस आदेश के संलग्न सारणी–1 अभिप्रेत है;
   (x) "सारणी–2" से इस आदेश के सलंग्न सारणी–2 से अभिप्रेत है;
   (xi) "वार्ड" से किसी नगरपालिका का वार्ड अभिप्रेत है; और
   (xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये है किन्तु परिभाषित नहीं किये गये है और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः बताये गये है।

3. **निर्वाचन प्रतीको का आवंटन** – निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आंवटित किया जायेगा तथा किसी वार्ड के निर्वाचन में भिन्न–भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न–भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।

4. **निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण** –(1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।
   (2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी–1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
   (3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी–2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

5. **दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन** – (1) सारणी–1 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।
   (2) सारणी–1 के स्तम्भ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।

26/09/2014

6. **कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया कब माना जायेगा** – कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खडा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :–

(क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(ख) संबंधित राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नामित प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्रा प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपरान्ह तक रिटर्निग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,

(ग) यदि राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख के अपरान्ह 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और

(घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण–1 उपरोक्त खण्ड में किसी राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहां सचिव से है।

स्पष्टीकरण–2 जहॉ किसी राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष द्वारा ही प्ररूप 'ख' में लिखित सूचना रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय तक प्रदत्त कर दी गई हो तो प्ररूप 'क' में राजनीतिक दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष के नमूने के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुकृति हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर है तो उन्हें नही माना जायेगा तथा फैक्स द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. **दल द्वारा खड़ा किया गया स्थानापन्न अभ्यर्थी** – (1) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित स्थानापन्न उम्मीदवार को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के मुख्य अनुमोदित उम्मीदवार के नाम निर्देशन–पत्रा को नियम–13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या जिसने अपनी अभ्यर्थिता नियम–16 के अन्तर्गत वापस ले ली हों।

(2) ऐसी स्थिति में जहॉ दल के मुख्य अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित स्थानापन्न उम्मीदवार का नामनिर्देशन–पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा स्थानापन्न उम्मीदवार भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे स्थानापन्न उम्मीदवार को दल द्वारा खड़ा किया गया नही माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक अधोलिखित खण्ड 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. **दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थी को स्थानापन्न किया जाना** – यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही वार्ड के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते है और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्रा सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खडे नहीं किये गये है।

9. **विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीको के चयन व आवंटन पर निषेध** – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खडे नहीं किये गये हों, उन्हें संलग्न सारणी–2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन–पत्रा में उल्लिखित रूचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन–पत्रा में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उसे नजरअन्दाज किया जायेगा।

26/09/2014